बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03 / 04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)अरवल–03 / 2024 2274 पटना, दिनांकः– 27/08/2024

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 13–। दिनांक 28.02.2024 द्वारा श्री आदित्य पाण्डेय, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03480) के विरूद्ध विगत एक वर्ष की अधिक अवधि से जिला मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का प्रतिवेदन देते हुए नियमानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1299 दिनांक 11.03.2024 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि शिविर प्रभारी द्वारा पुर्वाग्रह से ग्रसित होकर एवं निराधार शिकायत दर्ज कर इन्हें शिविर से अनटैग कर दिया गया था। साथ ही अंकित किया गया है कि जून, 2023 से कमर में दर्द की वजह से चिकित्सक द्वारा पूर्णतः आराम की सलाह दी गयी थी एवं जनवरी, 2024 के अंत में चलने फिरने के लायक हुए हैं। साथ ही साथ अनुपस्थिति को क्षांत / माफ करते हुए सेवा में मौका देने की बात अंकित की गयी है।

आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण पर निदेशालय पत्रांक 1584 दिनांक 25.03.2024 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी से सुस्पष्ट मंतव्य की मांग की गयी है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 358–।। दिनांक 09.04.2024 द्वारा अपने मंतव्य में आरोपित के स्पष्टीकरण का जबाब संतोषजनक नहीं रहने, सर्वेक्षण कार्यो के प्रति लापरवाही, शिथिलता एवं अपने से वरीय पदाधिकारियों के प्रति अभद्रतापूर्ण व्यवहार, बद्तमीजी एवं अनुशासनहीनता बरतने का मंतव्य देते हुए नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की समीक्षा की गयी है। समीक्षोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण में जो बाते अंकित की गयी है, उसके समर्थन में कोई स्पष्ट साक्ष्य / अभिलेख नहीं दिया गया है। इनके द्वारा शिविर प्रभारी पर पुर्वाग्रह से ग्रसित रहने एवं बिमार रहने के कारण अनुपस्थित रहने की बात अंकित की गयी है, परन्तु इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को शिविर प्रभारी के विरूद्ध एवं अपनी बिमारी के संबंध में सूचना दी गयी है अथवा नहीं, के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि मात्र आरोप से बचने के लिए इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी पर आरोप–प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। चूंकि इनके नियंत्री बंदोबस्त पदाधिकारी हैं, ऐसे में इनके संबंध में बंदोबस्त पदाधिकारी का मंतव्य महत्वपूर्ण हो जाता है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा इनके विरूद्ध विपरीत मंतव्य देते हुए नियोजन समाप्त करने की अनुशंसा की गयी है।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से ही विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का नियोजन किया गया है। जबकि संचिका में रक्षित ऑनलाईन उपस्थिति विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्री पाण्डेय वर्ष–2023 से वर्ष–2024 में मात्र 28 दिन ही उपस्थित रहे हैं। इतनी लम्बी अवधि से अनुपस्थित रहने के कारण इनको आवंटित मौजा का कार्य बाधित / विलंब हुआ है। ऐसे में इनके कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनको संविदा में बनाए रखना कार्यहित में उचित नहीं होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधित नियमावली, 2022 के नियम 8(4) में वर्णित प्रावधान के तहत श्री आदित्य पाण्डेय, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03480) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)अरवल–03/2024 2274 **पटना, दिनांक** :- 27/05/2024

प्रतिलिपि :– श्री आदित्य पाण्डेय, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN03480), बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)अरवल–03/2024 2274 **पटना, दिनांक** :- 27/05/2024

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः– 03/04–भू0अ0नि0(संविदा आरोप)अरवल–03/2024 2274 **पटना, दिनांक** :- 27/05/2024

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने तथा इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत इनकी व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप